कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर मध्यप्रदेश

क्रमांक– 71 / मु0न्या0म0 / 2024 सीहोर, दिनांक– 22/01/24

।। आदेश ।।

–: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 :–

मैं श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये, सत्र मंडल सीहोर, जिला सीहोर के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विचाराधीन होने वाले आपराधिक प्रकरण संबंधी कार्य विभाजन संशोधन पत्रक, वर्ष 2024 निम्नानुसार जारी करती हूँ। यह आदेश पूर्व के सभी आदेशों को निरस्त करते हुये माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय सीहोर के अनुमोदन उपरान्त तत्काल आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा :–

क्र.	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	कार्य विवरण
1–	**श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर**	**ए– आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मण्डी, यातायात, आबकारी वृत्त सीहोर जी.आर.पी., (2) तहसील सीहोर व श्यामपुर से वन विधि व खनिज विधि से संबंधित प्रकरण**	1– आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले अभियोग पत्र एवं केन्द्रीय तथा प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत आपराधिक अभियोग पत्र। 2– नगर पालिका सीहोर की ओर से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र कोतवाली सीहोर, मण्डी सीहोर से उद्भूत होने वाले मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के समस्त प्रकरण। 4–तहसील सीहोर व श्यामपुर के अंतर्गत उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की अनुषांगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण। 5– तहसील सीहोर व श्यामपुर के अंतर्गत उद्भूत होने वाले खनिज विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की अनुषांगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण। 6– संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण। 7– रेल्वे पुलिस (जी.आर.पी.) सीहोर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वे समस्त प्रकरण

...प्रधान जिला एवं ... सीहोर
23 JAN 2024
423 / 23.01.2024

			जो रेलवे मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा विचारणीय न हो। 8— बांट और माप मानक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 9— औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि., 1940 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 10— आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2002 से संबंधित उद्भूत होने वाले प्रकरण। 11— आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 से संबंधित उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 12— तहसील सीहोर से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 13— आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मण्डी सीहोर से संबंधित खात्मा प्रकरण।
		बी— सम्पूर्ण जिला सीहोर	1— वे सभी प्रकरण जो किसी मजिस्ट्रेट को कार्य हेतु आबंटित नहीं किए गए है एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जो किसी अधिनियम से उद्भूत हुये हैं तथा इस कार्य विभाजन पत्रक में भी विनिर्दिष्टता उल्लेखित नहीं हैं। 2— जिला सीहोर के अंतर्गत भवन निर्माण अधिनियम, कारखाना अधिनियम एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 3— समस्त जिले के आरक्षी केन्द्र के खारिजी (इ0आर0) प्रकरण। 4— समस्त जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों से उदभूत मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले इस्तगासा/परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जावेगे।

			5– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोडकर जिले के सभी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 195 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 6– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सीहोर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित किसी भी अभियोग पत्र पर संज्ञान ले सकेगे और किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित प्रकरणों में न्याय की पूर्ति हेतु कभी भी विधि अनुसार आदेश पारित कर सकेगे। 7– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समस्त सीहोर क्षेत्र से संबंधित किसी भी खात्मा प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही कर सकेगे । 8– जिला सीहोर के अंतर्गत भवन निर्माण अधिनियम, कारखाना अधिनियम एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 9– ऐसे सभी प्रकरण जो विशेष अधिनियम से संबंधित तथा जिनका उल्लेख पृथक से कार्य विभाजन पत्रक में नहीं किया गया है। **(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग–1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)**
2–	**सुश्री निधु श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर**	**श्यामपुर से संबंधित प्रकरण**	1– आरक्षी केन्द्र श्यामपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग–पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद–पत्र एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2– संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।

			3— आरक्षी केंद्र मण्डी के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के आपराधिक प्रकरण। 4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। **(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग—1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)**
3—	**सुश्री इकरा मिन्हाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर**	**आरक्षी केन्द्र कोतवाली सीहोर, मण्डी सीहोर, श्यामपुर, अहमदपुर दोराहा बिलकिसगंज से उद्भूत महिलाओं से संबंधित प्रकरण**	1— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत ऐसे आपराधिक प्रकरण (जिसमें महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारित हुआ हो) 2— आरक्षी केन्द्रों के अतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय 9 के अन्तर्गत 125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 5 के अधीन होने वाले आवेदन पत्र, (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से उद्भूत होने वाले प्रकरण। 3— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। 4— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण। 5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। **(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग—1 में उल्लेखित आपराधिक प्रकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)**
4—	**श्रीमती राखी सिकरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर**	**अहमदपुर, बिलकिसगंज से संबंधित प्रकरण**	1— आरक्षी केन्द्र अहमदपुर, बिलकिसगंज के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण

			के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद–पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2– संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र कोतवाली सीहोर के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के आपराधिक प्रकरण। 4– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय–समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। **(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग–1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)**
5–	**श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर**	**दोराहा थाना से संबंधित प्रकरण**	1– आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्‌भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्‌भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद–पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2– संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण। 3– आरक्षी केंद्र कोतवाली एवं मण्डी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्‌भूत होने वाले केंद्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्‌भूत परिवाद पत्र। 4– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा

			समय–समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। **(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग–1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)**
6–	**श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा**	**जावर थाना**	1– आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद–पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2– संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण। 4– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय–समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण
7–	**श्री मोहम्मद नियामत हुसैन रिजवी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा**	**आष्टा (1) आबकारी वृत्त आष्टा। (2) तहसील आष्टा के वन विधि व खनिज विधि से संबंधित प्रकरण** **(नोट क.–2) अनुसार**	1– आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद–पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2– उक्त आरक्षी केन्द्र एवं आबकारी वृत्त आष्टा के अंतर्गत आबकारी विभाग से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से

			उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 3– तहसील आष्टा से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की अनुसंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण। 4– तहसील आष्टा से उद्भूत होने वाले खनिज विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण। 5– संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण। 6– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय–समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
8–	**सुश्री आयुषी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा**	**सिद्धीकगंज थाना**	1– आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद–पत्र एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 3– संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण। 4– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय–समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

9—	**श्रीमती रिचासिंह राजावत्** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा**	**जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा।**	
		1— आष्टा, पार्वती, सिद्दीकगंज एवं जावर से उद्भूत महिलाओं से संबंधित प्रकरण	1— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत उद्भूत होने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण (जिसमें महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारित हुआ हो) 2— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय 9 की धारा 125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 5 के अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 3— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। 4— संबंधित आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं से संबंधित खात्मा प्रकरण। 5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
		जून 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा।	
		2— पार्वती थाना	1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद—पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2— आरक्षी केन्द्र से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 3— तहसील आष्टा के तहत उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण 1954 के

			आपराधिक प्रकरण। 4— नगर पालिका आष्टा की ओर से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण। 5— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।
10—	**श्रीमती ऋचा जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा**	**<u>जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा।</u>**	
		(1) पार्वती थाना	1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद—पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2— आरक्षी केन्द्र से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 3— तहसील आष्टा के तहत उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण 1954 के आपराधिक प्रकरण। 4— नगर पालिका आष्टा की ओर से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण। 5— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।
		<u>जून 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा।</u>	
		2— आष्टा, पार्वती, सिद्दीकगंज एवं जावर से उद्भूत महिलाओं से संबंधित प्रकरण	1— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत उद्भूत होने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण (जिसमें महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारित हुआ हो) 2— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय 9 की धारा 125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की

			धारा 3 एवं 5 के अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 3— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। 4— संबंधित आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं से संबंधित खात्मा प्रकरण। 5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
11—	**श्री जितेन्द्र परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इछावर**	**(1) इछावर, (2) आबकारी वृत्त इछावर, (3) तहसील इछावर के वन विधि व खनिज विधि से संबंधित प्रकरण।**	1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रातीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2— आरक्षी केन्द्र एवं वृत्त इछावर आबकारी विभाग से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 3— दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 की धारा 125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 5 अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 4— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण। 5— तहसील इछावर से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण। 6— तहसील इछावर से उद्भूत होने वाले खनिज विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।

			7— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा मय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
12—	**श्रीमती सुनीता गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नसरूल्लागंज**	**(1) भैरूंदा (2) रेहटी (रेहटी का वह क्षेत्र जो पूर्व से नसरूल्लागंज न्यायालय के अंतर्गत आता है) (3) आबकारी विभाग नसरूल्ला— गंज, गोपालपुर (4) तहसील नसरूल्लागंज, गोपालपुर व रेहटी से वन विधि एवं खनिज विधि से संबंधित प्रकरण**	1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य क्षेत्राअधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2— आरक्षी केन्द्र एवं वृत्त रेहटी, नसरूल्लागंज, के अंतर्गत आबकारी विभाग से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 3— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण। 4— तहसील नसरूल्लागंज व रेहटी का वह क्षेत्र जो नसरूल्लागंज के अंतर्गत आता है, से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण। 5— तहसील नसरूल्लागंज व रेहटी का वह क्षेत्र जो नसरूल्लागंज के अंतर्गत आता है, से उद्भूत होने वाले खनिज विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण। 6— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
13—	**श्रीमती भावना जाटवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**	**(1) गोपालपुर, (2)भैरूंदा, गोपालपुर, रेहटी**	1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से

	नसरूल्लांगज	**(रेहटी का वह क्षेत्र जो पूर्व से नसरूल्लागंज न्यायालय के अंतर्गत आता है) से उद्भूत महिलाओं से संबंधित प्रकरण**	उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 2— आरक्षी केन्द्र गोपालपुर के अंतर्गत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण। 3— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत ऐसे आपराधिक प्रकरण (जिनमें महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारित हुआ हो) 4— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 की धारा 125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 5 के अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 5— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 6— संबंधित आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं से संबंधित खात्मा प्रकरण। 7— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
14—	**श्री अरविंद श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी**	**(1) शाहगंज (2) तहसील बुदनी के वन विधि व खनिज विधि से संबंधित प्रकरण**	1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण। 3— संबंधित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित

			खात्मा प्रकरण। 4– तहसील बुदनी व रेहटी का वह क्षेत्र जो बुदनी के अंतर्गत आता है से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की अनुसंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण। 5– तहसील बुदनी व रेहटी का वह क्षेत्र जो बुदनी के अंतर्गत आता है से उद्भूत होने वाले खनिज विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण। 6– दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 एवं 5 के अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र । 7– घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 8– माननीय सत्र न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय–समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। **(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग–1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)**
15–	**श्री कुणाल वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी**	**रेहटी (रेहटी का वह क्षेत्र जो पूर्व से बुदनी न्यायालय के अंतर्गत आता है), बुदनी (2) आबकारी वृत्त बुदनी (3) 138 – शाहगंज**	1– आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।

			2– उक्त आरक्षी केन्द्र एवं वृत्त बुदनी आबकारी विभाग से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्‌भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 3–संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण। 4–आरक्षी केंद्र शाहगंज के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आपराधिक प्रकरण। 5– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय–समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। **(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग–1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)**

<u>नोट कमांक 1 तथा 2</u>

<u>नोट</u> 1 :– श्रीमती भावना जाटवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नसरूल्लागंज के संतान पालन अवकाश से माह फरवरी में पुनः कर्तव्य पर उपस्थित होने पर उक्त कार्यविभाजन पत्रक उनके संबंध में प्रभावशील होगा तब तक उनका कार्य प्रभार श्रीमती सुनीता गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नसरूल्लागंज द्वारा संपादित किया जायेगा।

<u>टीप एवं आवश्यक निर्देश :–</u>

1. इस कार्य विभाजन पत्रक के साथ सत्र खण्ड सीहोर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता पर आपराधिक आवश्यक कार्य का निपटारा न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित **अनुसूची क्रमांक–एक** में वर्णित अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे तथा धारा–164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन **अनुसूची क्रमांक–दो** में वर्णित अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट लिपिबद्ध करेंगे।

2. इस कार्य विभाजन पत्रक के साथ ग्राम न्यायाधिकारी के पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्राम न्यायालय जाने पर उनकी अनुपलब्धता पर उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य का निपटारा **अनुसूची क्रमांक–एक एवं अनुसूची क्रमांक–दो** के अनुसार उनसे संबंधित दर्शित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे।

3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने संबंधित आरक्षी केन्द्र की सीमा क्षेत्र में माह में एक बार आवश्यक रूप से नियमानुसार चलित न्यायालय लगायेंगे जिसकी सूचना मान्नीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर को प्रेषित करेंगे। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों के लिये लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय का नियमित कार्य का संपादन प्रभावित न हो।

4. इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदन पत्रों पर नहीं पड़ेगा जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लंबित हैं एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम है।

5. मुख्यालय पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान प्रस्तुत होने वाले समस्त रिमांड आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक आपराधिक कार्य से संबंधित आवेदन पत्र का संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट विधिवत् निराकरण करेंगे।

6. आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अनुसार निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे जो आवश्यक कार्य धारित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पंजीबद्ध किये जाकर निराकृत किये जा सकेंगे।

7. लंबित रिमांड पेपर्स से संबंधित अभियोग पत्र उन्हीं न्यायालयों में पेश किये जायेंगे जिनके पास संबंधित उपरोक्त कार्य विभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार है, जब तक कि अलग से आदेश न दिया गया हो।

8. श्रीमान् प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी दांडिक न्यायालय का कोई भी प्रकरण, परिवाद व आवेदन पत्र किसी भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अंतरित किया जा सकेगा, या कोई भी प्रकरण, परिवाद व आवेदन पत्र किसी भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकेगा या वापस लिया जा सकेगा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके स्थानीय अधिकारिता के किसी भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्याायलय में लंबित दांडिक प्रकरण को वापस ले सकेगा या किसी भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्याायलय को दांडिक प्रकरण जांच एवं विचारण हेतु निर्देशित कर सकेगा।

9. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्रों व परिवाद पत्रों का संज्ञान लेने में सक्षम होंगे।

10. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मान्नीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के तीन दिवस पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे, यदि यह संज्ञान में आता है कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट बिना माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के पूर्व अनुमति से मुख्यालय से प्रस्थान किया है, तो उसकी सूचना माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेषित किया जावेगा।

11. मुख्यालय सीहोर के रिक्त न्यायालयों के संबंध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं मान्नीय अपीलीय न्यायालय, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के पालन में सजा वारंट एवं जेल वारंट तैयार करने व समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :–

क.	माह	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
अ–	जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2024	श्रीमती राखी सिकरवार
ब–	मई 2024 से माह अगस्त 2024	श्रीमती शुभा रिछारिया
स–	सितम्बर 2024 से माह दिसम्बर 2024	सुश्री इकरा मिन्हाज

12. आष्टा मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों के संबंध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं मान्नीय अपीलीय न्यायालय, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के पालन में सजा वारंट एवं जेल वारंट तैयार करने व समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :–

क.	माह	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
अ–	माह जनवरी 2024 से मार्च 2024	श्रीमती वंदना त्रिपाठी
ब–	माह अप्रैल 2024 से जून 2024	सुश्री आयुषी गुप्ता
स–	माह जुलाई 2024 से सितम्बर 2024	श्रीमती ऋचा जैन
द–	माह अक्टूबर 2024 से दिसम्बर 2024	श्रीमती रिचासिंह राजावत्

13. बुदनी मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों के संबंध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं मान्नीय अपीलीय न्यायालय, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के पालन में सजा वारंट एवं जेल वारंट तैयार करने व समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :–

क.	माह	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
अ–	माह जनवरी 2024 से जून 2024	श्री कुणाल वर्मा
ब–	माह जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024	श्री अरविंद श्रीवास्तव

14. नसरूल्लागंज मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों के संबंध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं मान्नीय अपीलीय न्यायालय, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के पालन में सजा वारंट एवं जेल वारंट तैयार करने व समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :–

क.	माह	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
अ–	माह जनवरी 2024 से जून 2024	श्रीमती सुनीता गोयल
ब–	माह जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024	श्रीमती भावना जाटवा

अ. माह जनवरी 2024 से माह जून 2024 तक श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी।

ब. माह जुलाई 2024 से माह दिसम्बर 2024 तक श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी।

15. इछावर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों के संबंध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं मान्नीय अपीलीय न्यायालय, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के पालन में सजा वारंट एवं जेल वारंट तैयार करने व समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :–

अ. माह जनवरी 2024 से माह दिसम्बर 2024 तक श्री जितेन्द्र परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इछावर।

16. ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का निराकरण उन्हीं मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाएगा, जिनके समक्ष उक्त गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित है।

17. मान्नीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं होंगे।

18. ग्राम न्यायालय अधिनियम–के प्रावधानानुसार कार्यरत ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जायेंगे।

19. द0प्र0सं0 की धारा 176 (1–क) के अन्तर्गत मृत्यु के कारण की जांच जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या जिसके द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में अपराध किया गया है या जिसको इस हेतु अधिकृत किया जाता है उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जावेगी।

20 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात् मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस प्रकार के दंड से भिन्न प्रकार का दंड या उस दंड से अधिक कठोर दंड, जो वह मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है, दिया जाना चाहिए, तब वह अपनी राय अभिलिखित करते हुए कार्यवाही तथा अभियुक्त को धारा 325 द.प्र.सं. में उपबंधित प्रावधान अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर की ओर प्रेषित कर सकेंगे।

21 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रकरणों में धारा 52(ए) की समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :–

क.	माह	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
अ–	जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2024	श्रीमती शुभा रिछारिया
ब–	मई 2024 से माह अगस्त 2024	सुश्री इकरा मिन्हाज
स–	सितम्बर 2024 से माह दिसम्बर 2024	श्रीमती राखी सिकरवार

22 किशोर न्यायबोर्ड सीहोर में पदस्थ सदस्यों/सामाजिक कार्यकर्ता के अनुपस्थित रहने पर और प्रधान मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में किशोर न्याय बोर्ड के समस्त कार्य का संपादन विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :–

अ. माह जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2024 तक श्रीमती राखी सिकरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर।

ब. माह मई 2024 से माह अगस्त 2024 तक श्रीमती शुभा रिछारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर

स. माह सितम्बर 2024 से माह दिसम्बर 2024 तक सुश्री इकरा मिन्हाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर

अनुमोदित

(श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर (म.प्र.)

Principal District & Session Judge
SEHORE (M.P.)

:

कार्यालय–श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सीहोर (म.प्र.)

–: प्रशासनिक/आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक :–

(अनुसूची "एक")

सभी पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुये आदेश दिया जाता है कि कार्य विभाजन पत्रक प्रभावशील दिनांक 27/01/2023 से सीहोर जिले में कार्यरत् कॉलम नंबर–2 में दर्शाये न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य उनके सम्मुख दर्शाये गये उपस्थित न्यायाधीशगण द्वारा आवश्यक आपराधिक कार्य देखेंगे, इन सब के अवकाश पर या उपलब्ध नहीं होने की दशा में मुख्यालय पर पदस्थ (उपस्थित) सीनियर मजिस्ट्रेट एवं उनके अवकाश पर रहने पर कमानुसार सीनियर मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रभार देखेंगे।

1	2	3	4	5
1–	श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित	श्रीमती राखी सिकरवार	सुश्री निधु श्रीवास्तव
2–	सुश्री निधु श्रीवास्तव	श्रीमती राखी सिकरवार	सुश्री इकरा मिन्हाज	श्रीमती राखी सिकरवार
3–	सुश्री इकरा मिन्हाज	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित	श्रीमती राखी सिकरवार	सुश्री निधु श्रीवास्तव
4–	श्रीमती राखी सिकरवार	सुश्री निधु श्रीवास्तव	सुश्री इकरा मिन्हाज	श्रीमती शुभा रिछारिया
5–	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित	सुश्री इकरा मिन्हाज	श्रीमती राखी सिकरवार	सुश्री निधु श्रीवास्तव
6–	श्रीमती वंदना त्रिपाठी (आष्टा)	श्री एच एन रजवी	सुश्री आयुषी गुप्ता	श्रीमती रिचासिंह राजावत्
7–	श्री एच एन रजवी (आष्टा)	श्रीमती वंदना त्रिपाठी	श्रीमती रिचासिंह राजातवत्	सुश्री आयुषी गुप्ता
8–	सुश्री आयुषी गुप्ता (आष्टा)	श्रीमती रिचासिंह राजावत्	श्रीमती ऋचा जैन	श्रीमती वंदना त्रिपाठी
9–	श्रीमती रिचासिंह राजावत् (आष्टा)	श्रीमती ऋचा जैन	सुश्री आयुषी गुप्ता	श्रीमती वंदना त्रिपाठी
10–	श्रीमती ऋचा जैन (आष्टा)	सुश्री आयुषी गुप्ता	श्रीमती रिचासिंह राजावत्	श्री एच एन रजवी
11–	श्रीमती सुनीता गोयल (नसरूल्लागंज)	श्री कुणाल वर्मा बुधनी	श्री अरविंद श्रीवास्तव (बुधनी)	श्रीमती भावना जाटवा
12–	श्रीमती भावना जाटवा (नसरूल्लागंज)	श्रीमती सुनीता गोयल	श्री कुणाल वर्मा (बुधनी)	श्री अरविंद श्रीवास्तव (बुधनी)
13–	श्री अरविंद श्रीवास्तव (बुदनी)	श्री कुणाल वर्मा (बुदनी)	श्रीमती भावना जाटवा (नसरूल्लागंज)	श्रीमती सुनीता गोयल (नसरूल्लागंज)
14–	श्री कुणाल वर्मा (बुदनी)	श्री अरविंद श्रीवास्तव	श्रीमती भावना जाटवा	श्रीमती सुनीता गोयल

		(बुदनी)	(नसरूल्लागंज)	(नसरूल्लागंज)
15–	श्री जितेन्द्र परमार (इछावर)	सुश्री इकरा मिन्हाज (सीहोर)	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित (सीहोर)	श्रीमती राखी सिकरवार (सीहोर)

नोट :– उपरोक्त अनुसूची में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर पदस्थ कनिष्ठ से वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास कार्य प्रभार रहेगा।

(श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–सीहोर (म.प्र.)

:

कार्यालय–श्रीमती अर्चना नायडू बोडे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सीहोर (म.प्र.)

–: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक–धारा–164 द.प्र.सं. :–

(अनुसूची "दो")

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीव पीटिशन नम्बर 5073/2011 स्टेट ऑफ कर्नाटका विरूद्ध शिवन्ना में पारित आदेश दिनांक 25/04/14 में परमादेश के माध्यम से धारा 376 एवं 376 (जी) भा.दं.सं. के मामले में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन महिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही अभिलिखित किया जाना चाहिए, के आदेश दिए गए हैं, उक्त निर्देश एवं आदेश के पालन में सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा **376 एवं 376 (जी)** भा.दं.सं. के मामले में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन निम्न महिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेगें, इसके अतिरिक्त धारा **376–ए से 376–डी** भा.दं.सं. जिनके साथ पॉक्सो एक्ट के अपराध हो या नहीं या पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों में निम्न महिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अभिलिखित किये जावेंगे :–

सारणी कमांक–1

कमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	2	3
1–	सुश्री निधु श्रीवास्तव	दोराहा, अजाक सीहोर, जी.आर.पी.
2–	सुश्री इकरा मिन्हाज	श्यामपुर, मण्डी,
3–	श्रीमती राखी सिकरवार	इछावर, बिलकिसगंज, अहमदपुर
4–	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित	कोतवाली, महिला थाना
5–	सुश्री आयुषी गुप्ता	सिद्धीकगंज, आष्टा
6–	श्रीमती ऋचा जैन	जावर
7–	श्रीमती वंदना त्रिपाठी	पार्वती
8–	श्रीमती सुनीता गोयल	नसरूल्लागंज, गोपालपुर, रेहटी, बुधनी, शाहगंज।
9–	श्रीमती भावना जाटवा	नसरूल्लागंज, रेहटी, शाहगंज।

नोट :– उक्त जिला मुख्यालय सीहोर पर महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने पर मुख्यालय में पदस्थ महिला कार्य प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त कथन अंकित किये जावेंगे एवं उनके भी अवकाश में होने पर कनिष्ठ से वरिष्ठ महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कथन अंकित किये जावेंगे। जिला मुख्यालय से बाहर पदस्थ महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने पर नजदीकी मुख्यालय में पदस्थ कनिष्ठ से वरिष्ठ महिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।

सारणी कमांक–2

धारा **376, 376–ए से 376–डी एवं 376 (जी) भा.दं.सं., पॉक्सो एक्ट** से संबंधित मामलों को **छोड़कर शेष धाराओं के लिए** आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मामलों में

निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके सामने दर्शित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अभिलिखित करेगें :–

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	2	3
1–	सुश्री निधु श्रीवास्तव	दोराहा, अजाक सीहोर, जी.आर.पी.
2–	सुश्री इकरा मिन्हाज	श्यामपुर, मण्डी,
3–	श्रीमती राखी सिकरवार	इछावर, बिलकिसगंज, महिला थाना
4–	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित	कोतवाली, अहमदपुर
3–	श्रीमती वंदना त्रिपाठी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आष्टा	आष्टा, सिद्धीकगंज
4–	श्रीमती रिचा जैन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आष्टा	पार्वती, जावर
5–	श्रीमती सुनीता गोयल, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नसरूल्लागंज	रेहटी (रेहटी का वह क्षेत्र नसरूल्लागंज तहसील के अंतर्गत आता है)
6–	श्रीमती भावना जाटवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नसरूल्लागंज	नसरूल्लागंज, गोपालपुर
7–	श्री अरविंद श्रीवास्तव, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बुदनी	बुदनी, रेहटी (रेहटी का वह क्षेत्र जो पूर्व से बुदनी न्यायालय के अंतर्गत आता है)
8–	श्री कुणाल वर्मा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बुदनी	शाहगंज

1– सारणी क्रमांक–2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर अनुसूची–एक में उल्लेखित उनके प्रभारानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे धारा–164 दं0प्र0सं0 के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रभारी कथन लेंगे, यदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन लेने से इन्कार करते हैं या ऐसी कोई कार्यवाही करते हैं, जिससे अभियोक्त्री के कथन लेने में असुविधा होती हो तो इसकी सूचना तत्काल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर प्रेषित करेंगे।

उक्त कार्य विभाजन आदेश माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय सीहोर के अनुमोदन दिनांक................ से तत्काल आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

(श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–सीहोर (म.प्र.)

22.1.024

प्रतिलिपि :–

क्रमांक– /मु0न्या0म/2024 सीहोर, दिनांक–

1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

2– मान्नीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय सीहोर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3– माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, जिला–सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

4– माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

5– माननीय नजारत प्रभारी, आष्टा/नसरूल्लागंज/बुदनी/इछावर, की ओर सादर प्रेषित्।

6– श्री..,प्रथम/द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर/ आष्टा/नसरूल्लागंज/बुदनी/इछावर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7– जिला दण्डाधिकारी, सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

8– पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

9– जिला आबकारी अधिकारी, जिला–सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

10– वन मण्डाधिकारी, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

11– जिला अभियोजन अधिकारी, सीहोर/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आष्टा /नसरूल्लागंज/बुदनी/इछावर की ओर सूचनार्थ प्रेषित् ।

12. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ सीहोर/आष्टा/नसरूल्लागंज/बुदनी/इछावर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, सीहोर/आष्टा/ नसरूल्लागंज/कोटरी/बुदनी/शाहगंज/रेहटी/इछावर/जावर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

14. नियंत्रक, नापतोल विभाग, सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

15. श्रम अधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

16. उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

17. जिला परिवहन अधिकारी, सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

18. जेल अधीक्षक, जिला जेल, सीहोर की ओर आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2022 की अनुसूची क्रं 02 में वर्णित निर्देशों के पालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19. आरक्षी केन्द्र प्रभारी ...., आरक्षी केन्द्र .... जिला–सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

20. रीडर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

<u>नोट</u>:– सिस्टम आफिसर सीहोर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि वह जिला स्थापना पर पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट की ई–मेल आई.डी. पर प्रेषित करें तथा जिला न्यायालय की वेबसाइड में भी अपलोड करें।

(श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–सीहोर (म.प्र.)